

फर्ट अहकाम

(11)

(नियम 15)

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

शामजी बनाम मोहन लाल

मुकदमा नं. 62 सन 2009

हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/8 वाली वकील जी सुब्बा चण्डा ने 17/8
 वषह धारा 83 वं 17/8 17/8
 17/8 पेश किया गया है। रिपोर्ट
 17/8 दिया गया। उक्त 17/8 के
 17/8 जज के समक्ष पेश
 17/8 दिनांक 16/11/09 के फेशल

16/09 वाली वकील उपस्थित। धारिवादी के सम्मान
 धारि वकील पाला। धारिवादी नं. 52 की
 ओर से अवाध डवा पेश किया गया। वकील
 कुलुंडा की रिपोर्ट अनुसार धारिवादी सं. 45
 गोलाशम नाम का कोई व्यक्ति करता हुआ
 में नहीं लेना बताया। धारिवादी सं. 51 का
 सम्मान वकील लेकर पाला नहीं हुआ। विशेष
 अन्य सभी धारिवादी गण की ओर से अवाध
 सम्मान कोई उपस्थित नहीं हुआ। P.O.
 संबंधित अफसर पर पेश है। वकील आशिम
 मोदी 17/8 16/11/09 को पेश से।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम १

फर्द अहकाम

10/16 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 9.11.16 को पेश हो।

9.11.16 वकूलाय उप/ वादी वकील को साक्ष्य पेश करने की दिनांक 14.12.16 को पेश हो।

14.12.16 वकूलाय उप/ वादी पेश करने साक्ष्यवादी दिनांक 10.1.17 को पेश हो।

10.1.17 वकूलाय उप/ साक्ष्यवादी पेश नहीं/ वादी वकील ने कथन दिया कि आगामी सुनवाई तिथि पर साक्ष्य पेश करेगा यदि साक्ष्य पेश नहीं कर पाएगा तो यह दावा खारिज कर दिया जावे। एक महीने दिनांक 7.2.17 को पेश हो।

72/17 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील उपस्थित नहीं। कई बार आवाज दिलाई ~~आवाज~~ फिर भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए दावा अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। फ्रैंसल शुभार होकर नम्बर से पास कर दाखिल दफतर हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)